न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, RAS

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 53/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.ओमसिह पुत्र श्री छत्तरसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी		01.सुमित्रा पत्नि श्री गोरधनराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी 02.अणदाराम पुत्र श्री मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी 03.कन्हैयालाल पुत्र श्री मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जगदम्बा कोलोनी माता का थान जोधपुर 04.राजूराम पुत्र मदनलाल जामि ब्राहम्ण निवासी ग्राम पीपरली तहसील लूणी 05.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम ।

अधिवक्तागणः —

5. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
6. अप्रार्थीगण सूचना के बावजूद अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक :— 9/10/2024

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदार की कृषि भूमि वाके राजस्व गांव पीपरली तहसील लूणी के खसरा नम्बर 112 रकबा 0.0971 हैक्टर खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.2671 हैक्टर खसरा नम्बर 112/2 रकबा 0.6880 हैक्टर खसरा नम्बर 112/3 रकबा 3.2375 हैक्टर आयी हुई है इसी प्रकार से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 4 की भी खातेदारी की कृषि भूमिया प्रार्थीगण के खसरान के पडौस मे ग्राम पीपरली तहसील लूणी मे खसरा संख्या 112/7 रकबा 1.4569 हैक्टर खसरा नम्बर 112/6 रकबा 0.4047 हैक्टर खसरा नम्बर 112/5 रकबा 0.5827 हैक्टर एव खसरा नम्बर 112/4 रकबा 1.6026 हैक्टर भूमि आयी हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमियो के मध्य स्थायी सीमाचिन्ह अकित नही है इस कारण से हर वर्ष खेती के समय प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमियो की मध्य सीमाओ के लेकर विवाद होते रहे है इस कारण से प्रार्थीगण ने दिनांक 01.06.2018 को उपरोक्त कृषि भूमियो के सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया गया जिस पर पटवारी हल्का ने विवाद होने की स्थिति के कारण सीमाज्ञान स्थगित करने की रिपोर्ट पेश की गयी जिस पर उपरोक्त कृषि भूमियो का सीमाज्ञान नही किया जा सका उसके बाद से निरन्तर प्रार्थी अप्रार्थीगण से निवेदन करता रहा कि सभी खातेदार मिलकर आपसी सहमती से अपनी अपनी खातेदारी की कृषि भूमियो का सीमाज्ञान करवाकर मध्य माठो पर स्थायी सीमाचिन्ह अकित कर दिये जावे ताकि छोटी छोटी बातो पर होने वाले विवाद खत्म किये जा सके । इसलिए प्रार्थी द्वारा ग्राम पीपरली तहसील लूणी के खसरा नम्बर 112 रकबा 0.0971 हैक्टर खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.2671 हैक्टर खसरा नम्बर 112/2 रकबा 0.6880 हैक्टर खसरा नम्बर 112/3 रकबा 3.2375 हैक्टर कृषि भूमियो का सीमाज्ञान पुलिस जाब्ते के साथ मे किया जाने हेतु न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली में तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी जो कि कार्यालय तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये क्रमांक/भू.अ./24/1872 दिनांक 25.06.2024 के जरिये प्रेषित की गयी जो कि शामिल मिशल हैं ।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथी ग्राम पीपरली तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 112 रकबा 0.0971 हैक्टर खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.2671 हैक्टर खसरा नम्बर 112/2 रकबा 0.6880 हैक्टर खसरा नम्बर 112/3 रकबा 3.2375 हैक्टर कृषि भूमि के एकल खातेदार हैं उपरौक्त खसरो मे से खसरा नम्बर 112 व 112/1 की भूमि पर खसरा नम्बर 112/6 के खातेदार ने 02.03 बीधा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है जो रेकर्ड मे तरमीम अनुसार है मौका रिपोर्ट दिनांक 21.05.2024 अनुसार पाया जाता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम पीपरली तहसील लूणी में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 0.0971 हैक्टर खसरा नम्बर 112/1 रकबा 0.2671 हैक्टर खसरा नम्बर 112/2 रकबा 0.6880 हैक्टर खसरा नम्बर 112/3 रकबा 3.2375 हैक्टर कृषि भूमि की पटवारी मौका फर्द दिनांक 21.05.2024 अनुसार खातेदार की भूमि का सीमाकंन कर रिकार्ड मे दर्ज रकबे से अधिक होने पर प्रार्थी की पत्थरगढी मौका रिपोर्ट मे प्रस्तावित रकबे के अनुसार करवायी जावे। मौका फर्द दिनाक 21.05.2024 आदेश का अग समझ जावे आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(पुखराज कांसोटिया)RAS

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी